

# भारतीय कला का परिचय

## भाग 2

कक्षा 12 के लिए ललित कला  
की पाठ्यपुस्तक



12148

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी  
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

Reprint 2025-26



## 12148 – भारतीय कला का परिचय, भाग 2

कक्षा 12 के लिए ललित कला की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-91444-94-5

### प्रथम संस्करण

मार्च 2025 फाल्गुन 1946

PD 10T M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

₹ 165.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा जैना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए33/2, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट-IV (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

### सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

### एन.सी.ई.आर.टी., प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नई दिल्ली 110 016

Phone : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सप्रेसवे, होस्टेल् के

बनाशंकरा III स्टेज

बंगलुरु 560 085

Phone : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

Phone : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकटः धनकल बस स्टॉप

पनिहटी

कोलकाता 700 114

Phone : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगाँव

गुवाहाटी 781021

Phone : 0361-2674869

### प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

मुख्य उत्पादन अधिकारी : जहान लाल  
(प्रभारी)

मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार

सहायक संपादक : मीनाक्षी

सहायक उत्पादन अधिकारी : दीपक कुमार

आवरण एवं सज्जा

रितू टोपा

## आमुख

भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए उत्तरदायी होने के कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा कला संबंधी विषयों के पाठ्यक्रम को विकसित करने की पहल विभिन्न उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रमुखता से की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अस्तित्व में आने के बाद पाठ्यपुस्तकों के विकास, उनकी प्रस्तुति, अंतःविषय दृष्टिकोण, अभ्यास के प्रकार आदि में परिवर्तन किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा को और अधिक लचीली बनाने पर बल देती है। यह नीति माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन के उपयुक्त व विस्तृत विकल्प प्रस्तुत करती है। इस नीति की एक और विशेषता यह है कि इसमें कला से संबंधित विषय भी सम्मिलित हैं। नीति में किए गए विभिन्न प्रयासों द्वारा विद्यार्थी शैक्षिक पथ एवं स्वयं की जीवन योजनाओं की रूपरेखा बना सकेंगे। इसलिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, जो कि विद्यालय छोड़ने की अवस्था भी होती है, उस परिस्थिति में उनके पास उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के वृहत् क्षेत्रों के विकल्प होंगे।

शिक्षा के इस स्तर पर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि माध्यमिक स्तर पर दृश्य एवं ललित कला को केवल एक विषय के रूप में न समझा जाए, बल्कि अब उसे व्यावसायिक शिक्षा के रूप में भी देखा जाए। ललित कला में सीखने के उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में केवल अभिव्यक्ति तक सीमित थे, लेकिन आज यह कौशल को परिपूर्णता व संरचना (डिजाइन) में दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा और माध्यम में स्वयं की अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है। साथ ही, कला के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भारत और दुनिया के विस्तीर्ण संदर्भ में विकसित करने की आवश्यकता है। कला इतिहास शिक्षा का एक प्रमुख क्षेत्र है, जो कला के अध्ययन का एक अंग या विषय भी है। इससे विद्यार्थी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

यह देखा गया है कि कई शिक्षा बोर्ड दृश्य या ललित कला को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रदान करते हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला सम्मिलित हैं। इनकी समीक्षा की गई और एक नए पाठ्यक्रम का गठन किया गया। यह विषय वैकल्पिक या व्यावहारिक घटक से अलग कला सिद्धांत की चर्चा करता है, जो विद्यार्थियों को देश की कला और वास्तुकला की विविध ऐतिहासिक विरासत से परिचित करवाता है। ललित कला की इस पाठ्यपुस्तक को कक्षा 12 के लिए विकसित किया गया है।

हमारा प्रयास भारतीय कला इतिहास के व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है और इसे कालानुक्रमिक के अनुरूप और समसामयिक निरंतरता में रखना है। एक संगठन के रूप में रा.शै.अ.प्र.प. प्रणालीगत सुधार और अपने प्रकाशनों या उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पाठ्यपुस्तक को संवर्धित करने हेतु परिषद् टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करती है।

नई दिल्ली  
अगस्त 2020

हृषिकेश सेनापति  
निदेशक  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान  
और प्रशिक्षण परिषद्



## प्राक्कथन

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय विद्वानों के सहयोग से कुछ ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत के अतीत का अध्ययन करने में सक्रिय रुचि ली। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापत्य स्मारकों, मूर्तियों और चित्रों का एक सुव्यवस्थित या क्रमवार अध्ययन शुरू हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ, धर्म के इतिहास का अध्ययन भी किया गया और मूर्तियों और चित्रों की पहचान शुरू की गई, जो प्रारंभिक छात्रवृत्ति का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया।

जैसे-जैसे कला इतिहास का अध्ययन दस्तावेज़ और उत्खनन के द्वारा व्यापक होता गया, कला वस्तुओं का वर्णन अध्ययन की एक प्रमुख विधि के रूप में विकसित हुआ। बीसवीं सदी के प्रारंभ में कुछ प्रमुख अध्ययन हुए जो कला के मात्र विवरण से परे थे। तत्पश्चात् भारतीय कला इतिहास के पश्चिमी और भारतीय विद्वानों की कई पीढ़ियों ने विषय का गहराई से अध्ययन किया है, जो स्थापत्य स्मारकों, मूर्तियों और चित्रों में परिलक्षित भारतीय सभ्यता के शानदार अतीत का एहसास कराती है। भारतीय दृष्टिकोण में भवन निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला एक ओर यूरोपीय कला से और दूसरी ओर सुदूर पूर्वी कला से भिन्न व विशिष्ट है। इसलिए, भारतीय कला का ऐतिहासिक अध्ययन, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में प्रतिष्ठित शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनकर उभरा है।

प्रायः कला वस्तुओं का अध्ययन दो महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित होता है—रूपात्मक या शैलीगत विश्लेषण और सामग्री एवं प्रासंगिक अध्ययन। पहली श्रेणी में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रों की विशेषताओं का रूपात्मक अध्ययन सम्मिलित है, जबकि दूसरी सामग्री विश्लेषण पर केंद्रित है, जिसमें कई घटक या अंग हैं, जैसे कि प्रतिमान-लक्षण (आइकनोग्राफिक) का अध्ययन, आख्यान तथा सांकेतिकता (सेमीक्यूटिक्स) आदि।

कक्षा 11 और 12 के लिए पाठ्यपुस्तकों की इस शृंखला में, कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक शुरुआत से मध्ययुगीन काल तक के विभिन्न दृश्य कला रूपों का परिचय देती है, जैसे—भित्ति चित्र, चित्रकला, मूर्तियाँ, वास्तुकला आदि। कक्षा 12 की इस पाठ्यपुस्तक में मध्ययुगीन और आधुनिक काल के दौरान भारत में चित्रकला परंपराओं के विकास पर आधारित अध्याय सम्मिलित हैं।

उच्चतर माध्यमिक स्तर की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय कला में विकास की समझ विकसित करने के लिए पाठ्यपुस्तक कुछ उदाहरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

इस पाठ्यपुस्तक में आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक विशेष शैली या चित्रकला के समयकाल और अन्य दृश्य कलाओं की चर्चा से संबंधित है। पहला अध्याय पश्चिमी और पूर्वी भारत में ताड़ के पत्ते की 'पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा' के बारे में बात करता है, जो परवर्ती विभिन्न चित्रकला विद्यालयों के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। दूसरा अध्याय 'राजस्थानी चित्रकला शैली' से संबंधित है। राजस्थानी चित्रों की प्रत्येक शैली एक राजपूत राजा के एक अलग दरबार से संबंधित है और इसकी संरचना, रंग, संदर्भ और मानवाकृतियों

का चित्रण, वनस्पति और जीव, वास्तुकला आदि में अद्वितीय विशेषताएँ हैं। तीसरे अध्याय में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन के लगभग 250 वर्षों में, फ़ारस से लाई गई संस्कृति के साथ स्थानीय संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। साथ ही साथ, अन्य विदेशी सांस्कृतिकता का समय के साथ स्वदेशी हो जाना उल्लेखनीय है। दृश्य विशेषताओं में कारीगरी का अलग प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों में ऐतिहासिक ग्रंथों के विषयों के सचित्र आत्मकथाएँ, साहित्यिक और धार्मिक पांडुलिपियाँ, महाकाव्य, वनस्पतियों का अध्ययन और जीव, साधारण लोग आदि की शृंखला का चित्रण किया गया है।

फिर आगे दक्कन के प्रांतों में चित्रकारों और राजकीय संरक्षकों ने चित्रकला की एक अनोखी शैली या स्कूल का विकास किया जिसका प्रभाव मुगल शैली पर भी देखने को मिलता है। हालाँकि, यह काफी हद तक क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित और फ़ारसी कलात्मक सौंदर्यशास्त्र से प्रभावित थी। दक्कन शैली की विस्तृत चर्चा चौथे अध्याय में की गई है।

लगभग उसी समय, हिमालय के राज्य गढ़वाल, कुमायूँ, हिमाचल और जम्मू क्षेत्रों के राजपूत राजाओं ने दिल्ली के कई कलाकारों को अपने राज्यों में शरण दी, जिन्होंने स्थानीय पात्रों और विषयों की विशेषताओं को खूबसूरती से अपने चित्रों में उतारा। अध्याय पाँच में पहाड़ी चित्रकला का वर्णन किया गया है। उत्तरी भारत में मुगल सत्ता के पतन और व्यापारियों के रूप में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोगों के आने और बाद में शासक बनने के साथ, भारतीय पहचान को एक बार फिर संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ही समय में, इसने नई चीज़ों को अवशोषित या ग्रहण भी कर लिया, जहाँ विचारों और तकनीक दोनों के मिश्रण के साथ राष्ट्रवाद के नए विचारों की उत्पत्ति हुई। छठा अध्याय हमें कई नए विकासों के साथ एक कलात्मक युग से परिचित करवाता है।

देश के क्षितिज पर आज़ादी का नया सूर्य विभिन्न आधुनिक रुझानों को प्रकाशित करता है, जिन्हें सातवें अध्याय में चिह्नित किया गया है। आज़ादी के बाद के वर्षों में व्यक्तिगत कलात्मकता और प्रयोग की एक नई परिभाषा स्पष्ट हुई। अंतिम अध्याय में विद्यार्थियों को देश के शिल्प की स्थानीय जीवित परंपराओं या लोक कलाओं के विभिन्न पहलूओं से परिचित करवाया गया है जिसका अभ्यास विभिन्न समुदायों द्वारा पीढ़ियों से किया जा रहा है। अद्वितीय कला रूपों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण बिना किसी परिवर्तन के किया जाता रहा है। पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में प्रयुक्त शब्दों और पारिभाषिक शब्दों की एक शब्दावली भी दी गई है। ग्रंथ सूची में, चुनिंदा पुस्तकों के संदर्भ दिए गए हैं, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रत्येक अध्याय एक त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर (QR) कोड के साथ युक्त या समाहित है। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के लिए एक एकल क्यूआर (QR) कोड दिया गया है।

प्रत्येक अध्याय का चित्रों के साथ वर्णन किया गया है, जहाँ चित्रों के शीर्षकों का विस्तृत विवरण भी संकलित किया गया है। चित्रों के शीर्षकों को देखकर, कोई यह जान सकता है कि महाद्वीपों के कई संग्रहालयों, दीर्घाओं और संग्रह में भारतीय कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। क्यूआर कोड (QR) के द्वारा संग्रहालयों की आधिकारिक वेबसाइट्स पर ऑनलाइन जाकर एक ही तरह के बहुतायत दृश्य खोजे जा सकते हैं।



## पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

### मुख्य सलाहकार

रतन परिमू, आचार्य और डीन (सेवानिवृत्त), फ़ैकल्टी ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स, महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात

### सलाहकार

नुजहत काज़मी, डीन, फ़ैकल्टी ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स, ज़ामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

### सदस्य

कोमल पांडे, सहायक संग्रहाध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

पारुल दवे मुखर्जी, आचार्य, स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

रीता सोढ़ा, सहायक आचार्य, फ़ैकल्टी ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स, महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात

### अनुवाद

अजीत कुमार, शोधार्थी, कला और सौंदर्यशास्त्र संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मधु अग्रवाल, टेकनिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आर्ट एंड डिज़ाइन, नई दिल्ली

लक्ष्मी पाठक, पी.जी.टी. पेंटिंग, जी.डी. गोयनका स्कूल, वसंतकुंज, नई दिल्ली

शुचिता शर्मा, विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

सुचिता राउत, विभागाध्यक्ष, कला विभाग, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीलबड़, भोपाल

### सदस्य-समन्वयक

ज्योत्स्ना तिवारी, आचार्य, कला एवं सौंदर्यशास्त्र शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली







## आभार

इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सम्मिलित सभी लोगों और संस्थाओं के प्रति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् आभार व्यक्त करती है। देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित सार्वजनिक और निजी संग्रहालयों और संग्रह से चित्रों का उपयोग इस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। प्रत्येक चित्र के साथ एक शीर्षक दिया गया है जिसमें उस चित्र के स्रोत के विवरण का उल्लेख है, जहाँ से चित्र लिए गए हैं। सभी संग्रहालयों की एक सूची निम्नलिखित है।

आगा खान संग्रहालय, कनाडा  
इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज  
भारत इतिहास संशोधक मंडल, पुणे  
भारत कला भवन, वाराणसी  
ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन  
चेस्टर बीट्री लाइब्रेरी, डबलिन  
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई  
कोल्नाथी गैलरी, लंदन  
इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन  
लॉस एंजिल्स काउंटी कला संग्रहालय, संयुक्त राज्य अमेरिका  
द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क  
म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, वियना  
म्यूजियम फर इस्लामिस्च कुंस्ट (द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट), बर्लिन  
एन. सी. मेहता गैलरी, अहमदाबाद  
राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली  
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली  
नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय संग्रहालय, प्राग  
नेचर मोर्ट गैलरी, नई दिल्ली  
राजा रघुबीर सिंह संग्रह, शांगिरी, कुल्लू घाटी  
द सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट, कैलिफ़ोर्निया  
स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डी. सी.  
विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन  
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता  
विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन



परिषद्, प्रज्ञा वर्मा, उप सचिव (अकादमिक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सतीश कुमार, शोधकर्ता, कला और सौंदर्यशास्त्र संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; तथा प्रीति प्रिया, जूनियर प्रोजेक्ट फ़ेलो, कला एवं सौंदर्यशास्त्र शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. नई दिल्ली; का पाठ्यपुस्तक के निर्माण के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करती है।

इसके साथ पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करने के लिए परिषद् शशि चट्टा, सहायक संपादक (सेवानिवृत्त) और ममता गौड़, संपादक (संविदा) का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, पाठ्यपुस्तक की समीक्षा और संपादन के लिए कहकशा, सहायक संपादक (संविदा) का आभार व्यक्त करती है। परिषद्, नरेश कुमार, डी.टी.पी. ऑपरेटर और नितिन कुमार गुप्ता, डी.टी.पी. ऑपरेटर का भी आभार व्यक्त करती है।



## विषय सूची

आमुख	iii
प्राक्कथन	v
1. पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा	1
2. राजस्थानी चित्रकला शैली	10
3. मुगलकालीन लघु चित्रकला	35
4. दक्कनी चित्रकला शैली	55
5. पहाड़ी चित्रकला शैली	67
6. बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	85
7. आधुनिक भारतीय कला	99
8. भारत की जीवंत कला परंपराएँ	127
शब्दकोश	145
ग्रंथ सूची	151



# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता  
प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को  
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।